छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक– एफ 4–9/2014/29–1 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 17/ 04/2020

प्रति,

1. आयुक्त–सह–संचालक,
   खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. संचालनालय,

2. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़

विषयः–राशनकार्ड विहीन व्यक्तियों/परिवारों को कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन के दौरान राशन सामग्री वितरण के संबंध में दिशा–निर्देश।

––00––

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के परिपालन में कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन से प्रभावित राशनकार्ड विहीन व्यक्तियों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. राशन कार्ड विहीन राज्य के निवासियों को उनकी पात्रता के अनुसार राशन कार्ड जारी किया जाकर पात्रता अनुसार खाद्यान्न समाग्री उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

2. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए रखा गया है। उपरोक्त चावल का उपयोग ऐसे व्यक्तियों को देने के लिए किया जा सकता है जिनके पास राशनकार्ड नहीं है। ग्राम पंचायत के द्वारा जिन व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है उनका पूर्ण विवरण दर्ज किया जाये। **प्रति व्यक्ति 5 किलो** प्रतिमाह चावल का प्रदाय किया जा सकता है। भंडारित चावल के समाप्त होने के पूर्व पंचायतों द्वारा पुनः आबंटन प्राप्त कर भण्डारण एवं वितरण का कार्य कराया जा सकता है। इस संबंध में होने वाला व्यय SDRF, पंचायत के मूलभूत मद अथवा अन्य उपयुक्त स्थानीय व्यवस्था से विकलित किया जा सकता है।

3. जिलों को खाद्य विभाग द्वारा विभागीय योजना के अंतर्गत रियायती दरों पर चावल आबंटित किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में राशनकार्ड विहीन व्यक्तियों को नगरीय निकाय के माध्यम से पहचान की उचित व्यवस्था के साथ विवरण दर्ज करते हुए **प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रतिमाह** चावल की दर से चावल का वितरण किया जा सकता है। दर्ज विवरण बाद में पृथक से खाद्य संचालनालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित किया जा सकता है। उपरोक्त आबंटन के विवरण के पश्चात् नगरीय निकायों को अतिरिक्त चावल का आबंटन जारी किया जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में राशनकार्ड विहीन व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित

Scanned with CamScanner

करने के आधार नंबर/मोबाईल नंबर प्राप्त किये जा सकते है जिनका उपयोग राशनकार्ड डाटाबेस में यह सुनिश्चित करने में किया जा सकता कि हितग्राही का नाम पूर्व से राशनकार्ड डाटाबेस में दर्ज तो नहीं है।

4. राशन सामग्रियों के लिए NGOs, समाज सेवी संस्थाओं एवं व्यक्तियों की मदद ली जा सकेगी।

कृपया लॉक डाउन अवधि में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार सभी राशनकार्ड विहीन व्यक्तियों को उपरोक्तानुसार राशन सामग्री उपलब्ध करने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि भूख से मृत्यु की स्थिति राज्य में निर्मित न हो।

Manoj 17/4/20

(मनोज कुमार सोनी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

कमांक– एफ 4–9/2014/29–1 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 24/ 03/2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
6. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, अटल नगर, नवा रायपुर,

Manoj 17/4/20

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

Scanned with CamScanner